

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज०)

अपील संख्या	रजि०न०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/45/2023	2023/291	28.03.2023	28.03.2023

3. शैतान सिंह पुत्र श्री बने सिंह, जाति राजपूत निवासी बास करनावत तहसील नारायणपुर, जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नारायणपुर, जिला अलवर, राजस्थान।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 22.02.2023 तहसीलदार नारायणपुर प्रकरण संख्या 107/2023

उपस्थित:—

01. श्री श्योराम सिंह नरूका
02. राजकीय अभिभाषक

—वकील अपीलान्ट  
— रेस्पोंडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नारायणपुर के निर्णय दिनांक 22.02.2023 प्रकरण संख्या 107/2023 जिसके द्वारा संवत् 2079 वाके ग्राम बास करनावत तहसील नारायणपुर की आराजी खसरा न० 188 रकबा 1.10 है० किस्म गैरमुमकिन रास्ता में से अतिक्रमित रकबा 0.01 है० में पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर बेदखली कार्यवाही से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी अपीलान्ट वकील ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पटवारी हल्का बासदयाल द्वारा दिनांक 01.02.23 को ग्राम बास करनावत के खसरा नं० 188 रकबा 1.10 है० किस्म गै० मु० रास्ता में से 0.01 है० पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नारायणपुर में प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2023 को अप्रार्थी अपीलान्ट को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.02.2023 को अप्रार्थी को अनुपस्थित मानते हुए बिना सुने व समुचित सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिये निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध तरीके से निर्णय पारित किया गया है। आराजी ख०नं० 188 रकबा 1.10 है० जो रास्ते का नंबर है उसके तरफ दक्षिण में खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 187 रकबा 3.37 है० व खसरा नंबर 186 रकबा 0.01 है० कुआ है जो काफी बड़ा खेत है उसके साथ में रास्ते का नंबर मौके पर लगता हुआ है, मौके पर आज भी 30-35 फुट चौड़ा रास्ता है, जो सन् 2017 में नरेगा द्वारा ग्रेवल सडक बनाई हुई है। अपीलान्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, अपीलान्ट द्वारा रास्ते की तरफ पक्की चार दिवारी की गई है जो करीब 50 साल पूर्व से बनी हुई है कोई नया निर्माण नहीं किया गया। रास्ते के तरफ उत्तर को बाबूसिंह पुत्र कबूल सिंह, बाबूसिंह की माता माना कंवर के द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण लकड़ी वगैरा रखकर

२०१

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
(द्वितीय) अलवर (राज०)

किया हुआ है, जिसकी पटवारी हल्का द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं की गई। खसरा नंबर 186 में पुराना कुआ बना हुआ है जो 75 साल पुराना बना हुआ है, उसको मुस्तकिल प्वाइंट मानकर अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि व रास्ते की भूमि की पैमाइश कर दी जावे और यदि अपीलाण्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलाण्ट अतिक्रमण छोड़ने को तैयार है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नारायणपुर के निर्णय दिनांक 22.02.2023 को निरस्त फरमाया जाकर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के नोटिस से भारमुक्त फरमावे।

अपील के साथ संलग्न अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का बासदयाल द्वारा दिनांक 01.02.2023 को अतिक्रमण रिपोर्ट आराजी खसरा नं० 188 रकबा 1.10 गैर मुमकिन रास्ता में से 0.01 है० पर शैतान सिंह पुत्र बने सिंह जाति राजपूत निवासी बास करनावत तहसील नारायणपुर के द्वारा पक्का निर्माण की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2023 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया गया जो अतिक्रमी को विधिवत तामील होकर संलग्न पत्रावली है। अपीलान्ट न्यायालय में नियत तारीख पेशी दिनांक 22.02.2023 पर उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया। पटवारी हल्का रिपोर्ट धारा 91 का नोटिस प्रति, और निर्णय 22.03.2023 की प्रति एवं बेदखली रिपोर्ट पेश की गयी है।

न्यायालय द्वारा अपील व अपीलान्ट वकील की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं चिंतन मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण होना नहीं बताया गया। आराजी ख० नं० 186 में पुराना कुआ बना हुआ है जो 75 साल से बना हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजी गै० मु० रास्ता की मौके पर पैमाइश नहीं की गई है, जिससे अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नारायणपुर के निर्णय दिनांक 22.02.2023 को निरस्त किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपील में वर्णित आराजी ख० नं० 188 रकबा 1.10 में से 0.01 है० व अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी की पैमाइश की जाकर मौके पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधिनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(इन्द्रजीत सिंह)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
(द्वितीय) अलवर (राज०)